राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

प्रदेश सरकार, राज्य में गरीबी उन्मूलन एवं गरीबों के चहुमुखी विकास के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की मुख्य धारणा है कि निर्धनों में गरीबी से उबरने की सहज क्षमता और सशक्त इच्छा होती है। अतएव एनआरएलएम के कियान्वयन हेतु वर्ष 2011 में उत्तर पदेश राज्य ग्रामोण आजीविका मिशन संस्था का ग्राम्य विकास विभाग के संरक्षण मं एक स्वायत्त संस्था के रुप में गठन किया गया है। पूर्व संचालित स्र्वणजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुर्नगठित कर 01 अप्रैल, 2013 से पूरे देश में एन.आर.एल.एम. संचालित है।

इस महत्वाकांक्षी योजना का उददेश्य गरीब ग्रामोण परिवारों तक पहुंच बना कर उन्हें सतत आजीविका के अवसरों से जोडना है। इसके लिए गरीबा की संस्थाओं यथा एस.एच. जी, उनके संघों एवं आजीविका क्लेकटिव्स का गठन किया जाता है। उक्त संस्थाए स्वयं सहायता एवं आपसी सहयोग पर आधारित सामूहिक कार्य का माध्यम होगी। इस हेतु य्.पी. एस.आर.एल.एम. द्वारा सभी स्तरा पर समपित एवं संवेदनशोल ढाचा की स्थापना की जा रही है।

योजना का मिशन

"जमीनो स्तर पर निर्धनां को सशक्त एवं स्थायो सं था बनाकर ग्रामीण परिवारा का लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमं मजद् ो रोज़गार क अवसर प्राप्त करन मं समथ बनात हुए गरीबो का घटाना जिसक फलस्वरूप गरीबों की आजीविका मं उत्तरोत्तर प्रगति हो सके।

योजना का लक्ष्य

वर्ष 2024–25 तक प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 1.08 करोड ग्रामोण परिवारों के 9.8 लाख महिला स्वंय सहायता समूहों का गठन करते हुये स्वतः रोजगार के अवसर दे कर गरीबी के स्तर को अत्यन्त कम करना।

मार्गदर्शी सिद्धांत

- निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा और सहज क्षमताएं होती हैं।
- निर्धनों की अन्तनिहित क्षमताओं को उभारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता और उन के द्वारा सशक्त संस्थाओं का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थाओं का गठन तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया क लिए एक बाह्य समर्पित एवं संवेदनशोल सहायक संरचना को आवश्यकता होती ह।
- जानकारी का प्रचार–प्रसार, कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करने से ग्रामीण निर्धन स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के नैतिक मूल्य

- अत्यंत निर्धनों को शामिल करना एवं सभी प्रक्रियाओं में अत्यंत निर्धनों के लिए सार्थक भूमिका।
- सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदशिता एवं जवाबदेही।
- सभी स्तरों यथा नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं उन की प्रमुख भूमिका।
- सामुदायिक आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता।

योजना की मुख्य विशषताएं

सर्वव्यापी सामाजिक मोबिलाईज़ेशन के तहत सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में से कम स कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वय सहायता समूह नेटवर्क में लाया जाए। योजना में समाज के निर्बल वर्गों का पर्याप्त आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा जिससे कि गरीब परिवारों क शत–प्रतिशत कवरेज के अंतिम लक्ष्य के मद्देनजर गठित होने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों में कम से कम 50 प्रतिशत एससी/एसटी, 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक और 3 प्रतिशत अपंग लाभार्थियों की भागीदारी रहे।

सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा

गरीबों की सुदृढ संस्था यथा – स्वय सहायता समूह और उनके ग्राम स्तरीय तथा उच्च स्तरीय परिसंघ गरीबों के लिए भूमिका और संसाधन उपलब्ध करान और बाहय एजेंसियों पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यह योजना अधिक उत्पादन, ग्रामीणा की हर संभव सहायता, उन्हें सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार आदि उपलब्ध कराकर विशिष्ट संस्थाओं यथा – आजीविका समूहों, उत्पादन व सहकारी संघों को बढ़ावा देगी।

प्रशिक्षण एवं क्षमता संर्वधन

योजनान्तर्गत लक्षित परिवारों, स्वय–सहायता समूहों, उनके परिसंघो, सरकारी कर्मियों, बैंकरों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य मुख्य साझेदारों के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन हेतु बहु–सूत्रीय दृष्टिकोण की संकल्पना की गई है।

परिक्रामीनिधि और ब्याज सब्सिडी

स्वय सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि के रूप में परिक्रामी निधि रु0 10000–15000 एक बार में उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी पात्र स्वयं सहायता समूहों हेतु तत्काल ऋण अदायगी के आधार पर मुख्य वित्तीय संस्थाओं से ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है।

सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन

यह योजना गरीब परिवारों, स्वय सहायता समूहो एवं संघो को मूलभूत बैंकिग सविधाओं क अतिरिक्त सर्वव्यापो वित्तीय समावेशन हासिल करन क लिए प्रेरित करती है।

अवसंरचना सृजन और विपणन सहायता

इस योजना में गरीबों की आजीविका संबंधी मुख्य क्रियाकलापों के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं तथा गरीबों की संस्थाओ को विपणन सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

कौशल एवं सेवायोजन परियोजनाएं

यह योजना परस्पर साझेदारी रीति के द्वारा कौशल उन्नयन एवं नियोजन परियोजनाएं जारी रखने हेतु वचनबद्ध है जिससे उभरते बाजारा में आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहन

मिले। इस हेतु आजीविका मिशन ने *उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन* के साथ साझेदारी की है।

ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी)

इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आर सेटी के माध्यम से जिले के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं/युवतियों को स्वावलम्बो व स्व–रोजगारी उद्यमियों के रूप में विकासित किया जाता है, जिसके लिए आवश्यकता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवस्थित हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का उपयोग किया जाता है।

अभिसरण एवं सहभागिता

योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर अधिक बल दिया जाएगा। यू.पी.एस.आर.एल.एम ने कतिपय संस्थाओं यथा–एन0आई0आर0डी0, एस0आई0आर0डी0, एस0एस0के0, जीविका बिहार तथा सोसायटी फार एलिमिनेशन *औफ रुरल पावरटी (एस.ई.आर.पी)–आंध्रा प्रदेश एवं तेलंगाना* के साथ नोतिगत साझेदारी किया है।

पंचायती राज संस्थाओं के साथ संपर्क

ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतों तथा निर्धनों की संस्थाओं के बीच पारस्परिक लाभप्रद संबंधो को यू.पी.एस.आर.एल.एम. विकसित करेगा।

कियान्वयन नोति

एन.आर.एल.एम का कियान्वयन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है क्यांकि प्राथमिक दौर में सामाजिक पूंजीका ढांचा खड़ा करने में कुछ समय लगता है। राज्य के समस्त 75 जिलों को चरणबद्ध तरीके से परियोजना के अन्तर्गत लिया जाना है। अर्थात प्रयास होगा के अगले 10 वर्षो में (2018–19 तक) परियोजना धोरे–धोरे समस्त गावों में प्रवेश कर जाए। सम्प्रति राज्य मिशन ने 22 जिलों के 22 विकास खण्डों का इन्टेन्सिव विकास खण्डों के रुप में चयनित किया है। इन्टेन्सिव जिलों के अमले मं सम्पूर्ण प्रशिक्षित पोफेशनल कर्मचारी लगाये गये हैं साथ ही सर्वव्यापी और तोव्र सामाजिक, वित्तीय समावेश, आजीविका, साझेदारी इत्यादि की विभिन्न गतिविधियां आरम्भ हो गयी हैं। इन्टेन्सिव विकास खण्डों में सी.आर.पी. (समुदाय सन्दर्भ व्यक्ति) रणनीति का पालन किया जा रहा है। यह रणनीति इस आधार पर टिकी है कि, 'समुदाय ही समुदाय से बेहतर सीखता है'। बचे हुए समस्त नान इन्टेन्सिव विकास खण्डों में इस वर्ष केवल मौजूदा एस.एच.जी. के सुद्दढ़ीकरण पर ही गतिविधियां केन्द्रित हैं।

योजना मं संस्थागत ढाचे के अर्न्तगत राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, जिला मिशन प्रबन्धन इकाई एवं ब्लाक मिशन प्रबन्धन इकाईयां कार्यरत हं।